भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन
ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन
x. आईएमपीएस
xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली
xii. एनईएफटी
xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना
xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध
xv. चेक का भुगतान
xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच
xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण
xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना
xix. शिकायतें लॉन्च करना
xx. शिकायतों को ट्रैक करना
xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)
xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)
xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 21
मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाएं

21. डॉ. राम शंकर कठेरिया:
श्री महाबली सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बैंक मित्र, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 21 के खंड (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर, डेयरी और मत्स्यपालन जैसी प्राथमिक सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के बैंक मित्र (बीसी) बनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में, नाबार्ड ने दिनांक 11.06.2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटी (एलएएमपी), कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य गैर-क्रेडिट कार्यात्मक समितियों को एसटीसीबी / डीसीसीबी के अधीन बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। ऐसे एसटीसीबी / डीसीसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है-

i. बैंक को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ii. इसने कोर बैंकिंग समाधान लागू किया हो
iii. सीआरएआर 9% से कम नहीं हो
iv. सकल एनपीए 10% से कम हो
v. बैंक को तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में चूक नहीं की हो
vi. बैंक को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

(ग): सहकारिता मंत्रालय कि पहल पर गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 1723 नए बैंक मित्र बनाए गए हैं और नाबार्ड की मदद से डीसीसीबी द्वारा माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

बैंक मित्र सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को गृह/ घर बैठे बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रही हैं। इन सेवाओं में निम्न शामिल हैं:-

i. खाता खोलना
ii. नकद जमा
iii. नकद निकासी
iv. फंड ट्रांसफर
v. बैलेंस पूछताछ
vi. मिनी स्टेटमेंट
vii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का नामांकन

viii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का नामांकन

ix. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नामांकन

x. आईएमपीएस

xi. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/वसूली

xii. एनईएफटी

xiii. सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना

xiv. नई चेक बुक के लिए अनुरोध

xv. चेक का भुगतान

xvi. चेक जारी स्थिति की जाँच

xvii. सावधि जमा/आवर्ती जमा का नवीनीकरण

xviii. डेबिट कार्ड ब्लॉक करना

xix. शिकायतें लॉन्च करना

xx. शिकायतों को ट्रैक करना

xxi. एसएमएस अलर्ट/ई-मेल विवरण के लिए अनुरोध (यदि मोबाइल नंबर/ई-मेल पहले से पंजीकृत है)

xxii. जीवन प्रमाण के माध्यम से पेंशन जीवन प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (आधार सक्षम)

xxiii. रूपए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन , इत्यादि ।

*****